अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात हिंदी में काम किया जा रहा है ; और

(ग) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिन्दी सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक में पिछली तिमाही के दौरान मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का पालन, और वार्षिक कार्यक्रम सहित हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाती है।

(ख) मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के स्तर तक के सभी अधिकारी सदस्य हैं। हिंदी अनुभाग सहित मंत्रालय में कुल दस अनुभाग है। तथापि हिन्दी अनुभाग को छोड़कर एक अनुभाग में शत प्रतिशत दूसरे अनुभाग में 50% तथा तीसरे अनुभाग में 25% कार्य हिन्दी में किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) द्वारा लगाए गए 6 अंग्रेजी के कम्प्यूटर हैं। मंत्रालय में कोई टेलेक्स नहीं है। तीन टेलीप्रिंटर हैं जो अंग्रेजी के हैं।

राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

452. श्री रामचन्द्र विकल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात हिन्दी में में काम किया जा रहा है ; और

(ग) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमित्रा ओरांव) : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही बैठक में की जाती है।

(ख) यद्यपि मंत्रालय में हिन्दी में सम्पूर्ण/पत्राचार संबंधी फाइलें अधिक नहीं हैं तथापि अधिक से अधिक सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

(ग) मंत्रालय में तीन कम्प्यूटर और एक टेलेक्स मशीन अंग्रेजी में हैं। मंत्रालय में टेलीप्रिन्टर अथवा अन्य ऐसी मशीनें नहीं हैं।

शहरी विकास मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

453. श्री रामचन्द्र विकल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है; और

(घ) मंत्रालय में हिन्दी अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा हिन्दी सलाहकार समिति आदि की बैठकों में स्थिति की समीक्षा की जाती है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खान और इस्पात मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

454. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या खान और इस्पात मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिंदी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है; और

(घ) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां। राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा मंत्रालय द्वारा तथा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा भी नियमित रूप से की जाती है।

(ख) 3791

(ग) इस मंत्रालय के अधीन दोनों विभागों के संबंध में मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण–I और II में अलग-अलग दी गयी है (**नीचे देखिये**)

(घ) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

कार्यालय उपकरण की मद	संख्या	अंग्रेजी/हिन्दी	टिप्पणी
कम्प्यूटर	2	अंग्रेजी	नेशनल इनफारमेटिक सैन्टर द्वारा सप्लाई कराए गए हैं।
पर्सनल कम्प्यूटर	9	अंग्रेजी	
टेलेक्स	2	अंग्रेजी	डाकतार विभाग से किराये पर लिए गए हैं।
टेलीप्रिंटर	2	अंग्रेजी	यू० एम० आई० किराये पर लिए गए हैं।